the plan budget allotments, is assisting the State Governments and voluntary organistions for some selected programmes. The State Governments, who are mainly concerned, have been requested to give adequate priority to adult education programmes. The Planning Commission and the Ministry of Finance have also been requested to allocate more funds for Adult Education.

Seed Multiplication Farm and Plant Protection Units

*426 KUMARI KAMLA KUMARI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the number of seed multiplication farms and plant protection units, District-wise ;

(b) whether many of them do not have bullocks for ploughing and irrigational facilities and that these have not been of great help to cultivators and

(c) if so, the reasons therefor and the remedial measures taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) to (c). A statemnnt is placed on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT—1768/72]

Development of A Composite Seed Farm in Bihar

*427. SHRI N. E. HORO : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state;

(a) whether Bihar which has to import large quantities of seeds from other states, has lost an opportunity to develop a 10,000 acre composite seed farm at an estimated cost of Rs. 5 crores, which was to have been entirely subsidised by the Centre; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) and (b). It is correct that Bihar had to import considerable quantities of seeds from other States. The State Government are considering setting up seed farms but do not favour a 10,000 acre farm because acquisition of such a large area in one compact block would cause displacement of a large number of families. They are taking steps to locate medium sized farms of 2,000 to 9,000 acres in the case of which acquisition of land would cause the minimum displacement.

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के साथ विलय

*429. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1971 से केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के कार्यालयों को मिलाकर एक विभाग कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो 1965 में उक्त दोनों कार्यालयों को अलग-अलग करने और अब इन्हें फिर से मिलाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). प्रथम राजकीय भाषा आयोग की सिफारिशों की जांच करने और राष्ट्रपति को अपने विचार पेश करने के लिए संसद सदस्यों की

एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1959 में पेश कर दी थी। उक्त समिति ने शब्दावली कार्य के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ एक स्थायी आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। तदनुसार 27 अप्रैल, 1960 को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया था, जिसमे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के लिए एक स्थायी आयोग स्थापित करने का निदेश दिया गया था। आयोग की स्थापना 21 दिसम्बर 1960 को की गई। आवश्यकतानुसार आयोग का कार्य करने के लिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के अधीन तकनीकी और अन्य कर्मचारियो की व्यवस्था की गई थी। तदनुसार, शब्दावली तैयार करने मे लगे केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के कर्मचारियो को आवश्यकतानुसार आयोग के सुपुर्द कर दिया गया, ताकि आयोग अपना कार्य भली भाति कर सके। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक ने स्थायी आयोग के सदस्य-सचिव के रूप मे कार्य किया।

राष्ट्रपति के आदेश क अनुसरण मे, आयोग द्वारा किये गए कार्य का पुनरीक्षण शिक्षा मत्रालय द्वारा 1965 मे किया गया और यह पाया गया कि आयोग का कार्य अपेक्षित प्रगति नही कर सका। इसलिए, शब्दावलियों को अन्तिम रूप देने के कार्य को तेजी के करने के लिए, आयोग के सीधे नियत्रण में कमचारियो की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया। तदनुसार, आयोग के कार्य के कार्य के लिए 1 अक्तूबर, 1965 से अलग से कार्यालय बनाया गया।

1970 में, आयोग द्वारा किये गये कार्य की प्रगति का नए सिरे से मूल्यांकन किया गया। यह पाया गया कि लगभग ढाई तीन लाख शब्दों को अन्तिम रूप देने और 30 शब्दसंग्रह तैयार करने के साथ, इंजीनियरी को छोड़ कर, बाकी के विभिन्न विषयों में शब्दावलियों को अन्तिम रूप देने से सबंधित अपने कार्य का अधिकाँश भाग पूरा कर लिया है। इस कारण से मंत्रालय का यह अभिमत था कि 1965 मे आयोग के लिए किये गए प्रशासनिक प्रबन्ध की अब कोई आवश्यकता नही है और 1965 से पहले की व्यवस्था को पुनः लागू करने का निर्णय अगस्त 1971 मे किया गया।

Resignation by Chairman U. G. C.

*431 SHRI P K DEO :
SHRI P. GANGA DEB :

Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether the Chairman of the University Grants Commission has submitted his resignation,

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether attention of Government in this regard has been invited to a report in the *Motherland* of the 21st March, 1972; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN) : (a) and (b). In January, 1972, the Chairman, University Grants Commission submitted a letter of resignation for reasons of health and requesting to be relieved by February 29, 1972. Subsequently, he agreed to continue in his post.

(c) and (d). Yes, Sir. The Chairman, in his letter dated March 21, 1972, addressed to the Editor, *Motherland*, has described the report as incorrect.